<u>प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 18.12.2025</u>

गिरोह बनाकर लूट / छिनौती का अपराध कारित करने के आरोप में 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पिपराइच अतुल कुमार श्रीवास्वत द्वारा गैंग लीडर विशाल कुमार पुत्र रामसुमेर निवासी महमुदाबाद उर्फ मुगलपुरा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर व गैंग के सदस्य 1. राज उर्फ राजकुमार पुत्र अशोक निवासी मोगलपुरा उर्फ महमूदाबाद पिपराईच जनपद गोरखपुर 2. दीपक कुमार पुत्र स्व0 पप्पू निवासी मोगलपुरा उर्फ महमूदाबाद थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर 3. विनय पुत्र शैलेश सिंह निवासी मौला खुर्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर विशाल कुमार उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर लूट/छिनैती जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर विशाल कुमार व गैंग का सदस्य 1. राज उर्फ राजकुमार, 2. दीपक कुमार, 3. विनय उपोरक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-</u>

1. गैंग लीडर-विशाल कुमार पुत्र रामसुमेर निवासी महमुदाबाद उर्फ मुगलपुरा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

(i). मु0अ0सं0 740/25 धारा 309(4) BNS व बढ़ोतरी धारा 317(1) BNS थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
(ii). मु0अ0सं0 681/25 धारा 309(4), 352, 351(3) BNS व बढ़ोतरी धारा 317(1) BNS थाना पिपराइच गोरखपुर

2. राज उर्फ राजकुमार पुत्र अशोक निवासी मोगलपुरा उर्फ महमूदाबाद पिपराईच जनपद गोरखपुर

(i). मु0अ0सं0 681/25 धारा 309(4), 352, 351(3) BNS व बढ़ोतरी धारा 317(1) BNS थाना पिपराइच गोरखपुर

3. दीपक कुमार पुत्र स्व0 पप्पू निवासी मोगलपुरा उर्फ महमूदाबाद थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

(i). मु0अ0सं0 681/25 धारा 309(4), 352, 351(3) BNS व बढ़ोतरी धारा 317(1) BNS थाना पिपराइच गोरखपुर

4. विनय पुत्र शैलेश सिंह निवासी मौला खुर्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0सं0 740/25 धारा 309(4) BNS व बढ़ोतरी धारा 317(1) BNS थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 71/25 धारा 309(4), 317(2) BNS थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।